

**कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

शैल्या- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2018/888

संज्ञांक- दिनांक 15-5-2018

--कार्यालय आप--

अखिल भारतीय स्वामीजी शिक्षा परिषद द्वारा परिषद सत्र 2018-19 हेतु डिप्लोमा स्तरिय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्धता/सम्बद्धता विचार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2018 को निर्देशक, सीई विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान की अध्यक्षता में परिषद सम्बन्धित प्रमुख एवं सत्र 2018-19 हेतु अर्थात् नई संस्थाओं को अनुमोदन/पूर्व के सम्बन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विचार/पाठ्यक्रम/प्रवेश प्रवेश प्रदान हेतु सत्र 2018-19 हेतु सम्बद्धता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त की अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक को पत्र-16 में डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम सहायित करने वाली नई संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया -

ऐसी जवस्थापित निम्न डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं जिन्हें सत्र 2018-19 हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, परंतु पी0सी0आई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, एवं परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षणोपरांत ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अनुक्रम सत्र 2018-19 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है, के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि ऐसी संस्थाओं को डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश की संस्तुति सत्र 2018-19 हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित कारन्सिलिय प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपस्रांत ही की जाएगी।"

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विषय-विशेषज्ञ द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्राथमिक शिक्षा परिषद, 90 प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2018-19 हेतु निम्नांकित गती के अर्थात् पाठ्यक्रम एवं उसके अधिकतम प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र० सं०	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा सत्र 2018-19 में अनुमोदित अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2018-19 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	भा० अरवडीएल० कॉलेज ऑफ फार्मसी, जीनपुर	डिप्लोमा इन फार्मसी	60	50

सम्बद्धता हेतु सही

- ✓ सत्र ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित की गयी गती का पूर्णतः पालन करनी।
- ✓ सत्र सत्र प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एफ. 1662 सत्र प्राथमिक शिक्षा परिषद डिप्लोमा स्तरिय 1992 तथा अन्य विहित नियमों एवं कर्तव्यों का अनुपालन करनी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों पर प्रदान की जायेगी (दो वर्षों फार्मसी पाठ्यक्रम सहित) हेतु 50-30,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों पाठ्यक्रमों हेतु 50-21,500.00 शुल्क ही प्रदान करना, छात्रों से प्रत्येक शिक्षा कार्यालय/उपदेशक के अधिनियम प्रावधान हेतु शुल्क व सम्बद्ध व सत्र पर प्रवेश प्रदान किया किया जाने वाले मासिकवृत्त अर्थात् सत्र, और तदनुसार अर्थात् निर्धारित अर्थात् अर्थात् सत्र। (सीए डिप्लोमा

**कार्यालय,
शधिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- परिसर/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

1-कार्यालय ज्ञाप-:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेशी काउन्सिल ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु दिल्ली/फार्मेशी काउन्सिल ऑफ इन्डिया द्वारा सहायी को अनुमोदन प्रदान किए जाने को पुराल प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2020 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यलय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि शक्ति अन्य नदी पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के तद-3 में जिल्लोगा इन फार्मेशी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से लखनऊ संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

“ निजी क्षेत्र में स्थापित जिल्लोगा इन फार्मेशी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीठसीआईओ द्वारा उन्हें गथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीठसीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के समुल्य अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीठसीआईओ द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।”

दिनांक 14-09-2020 को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये तयरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं क्षमता अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीठसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 का अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीठसीआईओ / परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	आर्योत्तरवासी कॉलेज ऑफ इंजीनी, लीवापुर।	विद्युता एवं यान्त्रिकी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एआईआईटीआईओ/पीठसीआईओ द्वारा नियमित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1962, पैरामेटर विनियमवली-2016 तथा अन्य लिखित विमर्श एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा मुल्यक शिक्षालय समिति द्वारा निर्धारित मुल्यक तीन वर्षीय इंगीओ पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,000.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेशी पाठ्यक्रम हेतु रु०-45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेशी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22,500

(Handwritten Signature)

समाप्त

सञ्चित प्रशिक्षिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश लखनऊ-1

संख्या :- प्राशिक्ष/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यपालक तथ्य:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्यपाली कार्यालय और इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा दैनिक सत्र 2021-22 हेतु द्वितीय राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की अनुमति प्रदान किए जाने के उपरांत प्राशिक्षिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09.08.2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवंटित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सदी पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में सिद्ध गये निर्णय के अन्तर्गत में निम्न संस्था को प्राशिक्षिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु नियुक्ति सत्रों के अर्थात् पाठ्यक्रम एवं उसमें अर्जित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम	4885-R.D.S. COLLEGE OF PHARMACY, JAUNPUR
संस्था का कोड	ए०आर०डी०सी०जी०
पाठ्यक्रम का नाम	ए०आर०डी०सी०जी०/डी०सी०आर०डी० परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY
	प्रवेश क्षमता 60
	60

सम्बद्धता हेतु सती

- ✓ संस्था ए०आर०डी०सी०जी०/डी०सी०आर०डी० द्वारा निर्धारित की गयी सभी सत्रों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राशिक्षिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राशिक्षिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेक्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्दिष्ट नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा मुक्त निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित मुक्त शीत वरीय ए०जी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वरीय वार्षिकी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वरीय पाठ्यक्रमों (दो वरीय वार्षिकी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22500.00/- प्रतिवर्ष मुक्त ही प्रवेशक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से मुक्त के सम्बन्ध में समय-समय पर समन द्वारा निर्गत किये जाने वाले वास्तविक प्रपत्ती होगी, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। पीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु पीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो पीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को उ०प्र० प्राशिक्षिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवली-2000 की सत्रों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सत्रों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत वास्तविक के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता मुक्त जमा करना होगा।